

पालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

2022/ 1961

दिनांक 02/09/2022

प्रार्थीगण :-

1.नन्दराम 2.रुगनाथराम 3.पुरखाराम पि.वागाराम  
4.दमाराम 5.नानगाराम 6.डायाराम 7.अचलाराम पि.  
हेमाराम, 8.लेहरी पत्नि रुगनाथराम, जाति जाट,  
निवासी पदमाणी,नेहरो की नाडी,  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. ठाकराराम पुत्र कानाराम 2.गोकलाराम 3.भूराराम  
4.करनाराम पि.मोडाराम 5.गोगाराम 6.वालाराम पि.  
कालूराम 7.जोराराम 8.पुरखाराम पि.देदाराम  
9.अम्मेदाराम पुत्र भगाराम 10.भीखाराम पुत्र  
जीयाराम 11.मूलाराम पुत्र लाधुराम 12.रामाराम पुत्र  
मेहराराम 13.टीकूराम पुत्र सोनाराम, जाति जाट,  
निवासी पदमाणी, नेहरो की नाडी,  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 58/2019

दिनांक : 02.09.2022

आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र नेहरो की नाडी के मौजा पदमाणी के खेत खसरा सं. 482, 499, 500, 502, 512, 539/501 रकबा क्रमशः 24.12, 00.04, 70.18, 25.06, 31.00, 23.00 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1962 to 1965  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण नंदराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण ठाकराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 02/09/2022



(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन